छात्रवृति सम्बन्धी जानकारी

महाविद्यालय मे अध्ययनरत नियमित छात्र-छात्राए पात्रतानुसार निम्न छात्रवृति हेतु आवेदन कर सकते है :-

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति - इस छात्रवृति हेतु पात्र विद्यार्थियों को छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल / विश्वविद्यालय द्वारा उनके घर के पते पर योग्यता सूची के अनुसार सूचित किया जाता है। छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन के पश्चात् संस्था के माध्यम से सम्बंधित उच्च कार्यालय को को भेजा जाता है |

2.पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित छात्र -छात्राए पात्रतानुसार छत्तीसगढ़ राज्य की वेबसाइट मे जाकर आनलाईन आवेदन कर सकते है | आवेदन हेतु विद्यार्थी के पास निम्न दस्तावेज उपलब्ध होना चाहिए -

- स्थायी जाति प्रमाण पत्र
- मुल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र पिछले वित्तीय वर्ष का होना चाहिए तथा कुल वार्षिक आय २५०००० से अधिक न हो)
- आधार कार्ड (कार्ड मे अंकित नाम एवं पिता का नाम १२वी अंकसूची तथा जन्मतिथि १०वी अंकसूची के अनुसार होना चाहिए)
- महाविद्यालय की प्रवेश रसीद

3. बी.पी.एल. छात्रवृति - ऐसे अध्ययनरत नियमित छात्र-छात्राए जिसका परिवार बी.पी.एल. कार्डधारी है तथा कार्ड मे विद्यार्थी का नाम अंकित हो इस छात्रवृति हेतु आवेदन कर सकते है |

4. अल्पसख्यक छात्रवृति - अल्पसख्यक वर्ग के ऐसे विद्यार्थी (जैसे - सिक्ख , मुस्लिम ,जैन , पारसी) जिनके परिवार की वार्षिक आय २५०००० से कम हो तथा पिछले कक्षा मे प्राप्तांक ५०% से अधिक हो आवेदन कर सकते है |

महाविद्यालय मे छात्रवृति सम्बन्धी समस्त जानकारी महाविद्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी ।